न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश कक्ष सं०–1, सिद्धार्थनगर।

उपस्थितः– मोहम्मद रफी (एच०जे०एस०)

UPSD010020952023

Civil Revision/27/2023

1. मृतक घनश्याम मोदनवाल पुत्र भोला मोदनवाल

1/1 अजय कुमार वयस्क पुत्र घनश्याम

1/2 रवि कुमार वयस्क पुत्र घनश्याम

1/3 श्रीमती बिन्दा पत्नी घनश्याम

2. सुबाष मोदनवाल पुत्र भोला मोदनवाल

3. दिलीप मोदनवाल पुत्र भोला मोदनवाल

साकिनान सोहास खास, तप्पा–सोहास, परगना व तहसील नौगढ़, जिला–सिद्धार्थनगर।

–––निगरानीकर्तागण

बनाम

1. श्री शंकर भगवान द्वारा वादमित्र नन्दलाल गोस्वामी

2. नन्दलाल गोस्वामी पुत्र स्व० सेतू

3. चुल्हई गोस्वामी पुत्र जगमोहन गोस्वामी

4. भुलई गोस्वामी पुत्र जगमोहन गोस्वामी

5. नयनराज गोस्वामी पुत्र दशरथ गोस्वामी

6. पवन कुमार गोस्वामी पुत्र दशरथ गोस्वामी

7. राजकुमार गोस्वामी पुत्र दशरथ गोस्वामी

8. बजरंगी गोस्वामी पुत्र स्व० श्री मोहन

समस्त साकिनान मौजा सोहास खास, तप्पा सोहास, परगना व तहसील नौगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर।

–––विपक्षीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत सिविल निगरानी, मूल वाद सं०–226/2020 श्री शंकर भगवान आदि बनाम घनश्याम आदि में न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) नौगढ़, सिद्धार्थनगर द्वारा पारित

Digitally signed by MOHAMMAD RAFI
Date: 2026.04.08 16:41:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आदेश दिनांकित–27.07.2021/28.07.2021 के विरुद्ध निगरानीकर्तागण उपरोक्त के द्वारा संस्थित की गयी है।

2. संक्षेप में निगरानीकर्तागण का कथन इस प्रकार है कि आदेश दिनांक 27–7–2021/28–7–2021 अदालत मातहत के तथ्यों एवं विधान के विरूद्ध है अतएव खारिज होने योग्य है। निगरानीकर्तागण का मकान मय सहन व पिछवारा आवादी गाटा सं० 175 घ/0.2530 में स्थित है। पुराना मकान ध्वस्त हो गया था, उसी स्थान पर आंशिक भाग में तथा पुरानी नींव पर नव निर्मित एक कमरा व बरामदा निगरानीकर्तागण ने बनाया है तथा पुराने मकान का मलवा का ढेर शेष भूमि में मौजूद है जिसे विपक्षीगण मंदिर की सहन भूमि गाटा सं० 177 की संज्ञा देकर वाद योजित किया है जबकि मंदिर व उसका सहन गाटा सं० 176/0.019 ही है, धर्मशाला की भूमि गाटा सं० 177/0.083 है। विपक्षीगण वाद पत्र के प्रस्ता 4 में वादी सं० 1 को प्राइवेट मंदिर का होना कहा है तथा इसी प्रस्तर में सार्वजनिक मंदिर की तरह प्रयोग होना कहा है। विपक्षीगण द्वारा अपने वाद–पत्र में मंदिर संस्था के प्रयोग में बाँधा न पहुँचाने का अनुतोष माँगा है तथा मंदिर के सहन के लिये वाद योजित किया है। वादीगण मंदिर संस्था के मेम्बर, अध्यक्ष या कौन सा पद धारण करके वाद योजित किया है, इसका वर्णन नहीं किया है। वाद–मित्र बनकर दावा करने का अधिकार उन्हें नहीं है। इस सम्बन्ध में अवर न्यायालय में निगरानीकर्तागण ने प्रार्थना पत्र 24 ग–2 दाखिल किया था, जिस पर विपक्षीगण की आपत्ति 28 ग–2 दाखिल करके कहा गया है कि शंकर की मूर्ति है: मूर्ति वादमित्र बनकर दावा कर सकता है। इसी आधार पर 24 ग–2 अवर न्यायालय ने खारिज करके विधि का स्पष्ट एवं मनमाना तौर पर, आदेश करके, घोर अनियमितता कारित किया है। दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 32 नियम 2 में वादी के अव्यस्क एवं विकृतचित्त होने पर तथा नियम 3 प्रतिवादी के अव्यस्क एवं विकृत चित्त होने पर वाद–मित्र को दावा करने का प्राविधान है आदेश 31 में ट्रस्ट, Executor एवं प्रशासक को वाद योजित करने का अधिकार है। वादीगण 2 ता 8 मंदिर के सर्वराकार या ट्रस्टी नहीं है इसलिये उन्हें वाद योजित करने का अधिकार नहीं था। इस सम्बन्ध में अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 24 ग–2 खारिज करके अपने अधिकार क्षेत्र से बढ़कर कार्य किया है। वादी सं० 1 का मंदिर सार्वजनिक मंदिर है। वादी सं० 2 ता 7 वादी सं० 1 के पुजारी भी नहीं है। मंदिर सम्पत्ति की देखभाल करना धार्मिक एवं लोक प्रयोजन का मामला है इसलिए वादी सं० 1 के सम्बन्ध में न्यायालय की पूर्व अनुमति लेकर दो या दो से अधिक व्यक्तियों को वाद योजित करने का अधिकार है। धारा 92 जा०दी० के प्राविधानों का उल्लंघन करके न्यायालय द्वारा विधि–विरूद्ध आदेश पारित किया गया है इसलिये न्यायालय द्वारा उस अधिकार का प्रयोग किया गया जो उसमें निहित ही नहीं था। वाद पत्र के प्रस्तर 2 में विपक्षीगण ने कहा है कि भूतपूर्व जमींदार ने मंदिर बनवा कर उनके पूर्वज सेतू को दान कर दिया था। श्री शंकर

भगवान मंदिर के विपक्षीगण, यदि दान ग्रहीता हैं तो वे व्यक्तिगत हैसियत से वाद ला सकते है वाद–मित्र के द्वारा नहीं। हालांकि दान–प्रलेख पत्रावली में दाखिल नहीं है अनुतोष 'अ' में मंदिर संस्था के प्रयोग में दखल न देने की बात कही गई यदि मंदिर के पास अपनी संस्था है तब भी विपक्षीगण संस्था के प्रबन्धक व सदस्य की हैसियत से वाद योजित कर सकते हैं इसलिये वाद–मित्र बनकर विपक्षीगण को वाद योजित करने का अधिकार नहीं है। धारा 24 ग–2 पर पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी एवं 7 ग–2 पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील होती है है इसलिए दोनों आदेश एक साथ पारित नहीं किये जा सकते है। अवर न्यायालय द्वारा 27–7–2021 को आदेश पारित करना माना जावे या 28–7–2021 को, सुनिश्चित नहीं है। 24 ग–2 एवं 7 ग–2 का आदेश एक साथ पारित करके घोर अनियमितता कारित किया गया है। उपरोक्त आधारों पर निगरानी स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

3. निगरानीकर्ता द्वारा अपने समर्थन में सूची–6 ग 1 के माध्यम से नकल आदेश दिनांकित–27/28.07.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि, वादपत्र की छायाप्रति तथा 24 ग 2 व 28 ग 2 की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।

4. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. निगरानीकर्तागण की ओर से तर्क दिये गये कि–

(i) विपक्षीगण ने जिस मन्दिर के लिए वादमित्र होकर दावा दायर किया है उसमें मन्दिर संस्था के मेम्बर अथवा अध्यक्ष का कोई उल्लेख नहीं है।

(ii) विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में वादमित्र होने के आधार पर निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है, परन्तु सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 32 नियम 2 व 3 में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है।

(iii) विचारण न्यायालय ने एक साथ 7 ग 2 व 24 ग 2 प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध क्रमशः अपील व निगरानी की जा सकती है, इस कारण अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर आदेश पारित किया गया। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

6. विपक्षीगण की ओर से तर्क दिये गये कि–

(i) विचारण न्यायालय का आदेश पूर्णतः उचित है एवं विधि के अनुरूप है।

(ii) भगवान शंकर द्वारा वाद दायर करने के लिए वादमित्र की आवश्यकता है। मूर्ति स्वयं वाद दायर नहीं कर सकती। इस कारण निगरानी निरस्त की जाये।

7. उभय पक्षों के तर्कों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित बिन्दु पर निष्कर्ष आना आवश्यक है।

1– क्या विचारण न्यायालय द्वारा 7 ग 2 प्रार्थना पत्र के साथ ही 24 ग 2 प्रार्थना पत्र को निस्तारित कर कोई विधिक त्रुटि की गयी है ?

8. आदेश के स्तर पर मूल वाद सं०–226/2020 की पत्रावली तलब की गयी जिसका सम्यक अवलोकन किया गया।

9. दिनांक–28.07.2021 को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी के प्रार्थना पत्र 7 ग 2 जिसके द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गयी थी उसको आंशिक रूप से स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र 24 ग 2 द्वारा जिसमें इस बात का उल्लेख था कि वादी सं०–1 ता 8 मन्दिर के सर्वराकार नहीं है तथा वादमित्र के आधार पर दावा किया गया है, पोषणीय नहीं है उसको निरस्त कर दिया। 24 ग 2 प्रार्थना पत्र में 7 ग 2 के प्रार्थना पत्र के पूर्व सुनवायी करने और निस्तारित करने की भी मांग की गयी थी।

10. किसी भी प्रार्थना पत्र जिसमें मूल वाद के दायर करने की अधिकारिता को चुनौती दी गयी हो सामान्यतः प्रारम्भिक स्तर पर तय किया जाना ही उचित होता है। इसके अतिरिक्त जिन दो आदेशों को एक साथ दिनांक–28.07.2021 को विद्वान विचारण न्यायालय ने पारित किया उसमें दो अलग–अलग प्रकृति के अनुतोषों के बावत आदेश किया है। दोनों प्रार्थना पत्रों को अलग–अलग ही निस्तारित करना इसलिए आवश्यक था कि विचारण न्यायालय को उन प्रार्थना पत्रों और उन पर की गयी आपत्तियों पर विचार करने का पर्याप्त समय मिलता।

11. 24 ग 2 प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय विचारण न्यायालय ने केवल वादी द्वारा 24 ग 2 की आपत्ति का उल्लेख किया उस पर अपना कोई कारण दर्शित नहीं किया। वादमित्र के सम्बन्ध में आदेश 32 में अवयस्क द्वारा अथवा विकृतचित्त व्यक्तियों द्वारा वादमित्र के माध्यम से दावा किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस सम्बन्ध में कोई विश्लेषण विचारण न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है।

12. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की नजीर Behari Lal vs Thakur Radha Ballabh Ji And Anr. on 21 December, 1959 AIR 1961 All 73 में यह उल्लिखित किया गया है कि किसी देवता(मूर्ति) की ओर से दायर वाद को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाना चाहिए जो उस देवता का प्रतिनिधित्व करता हो, सामान्यतः उस मंदिर के प्रबंधक द्वारा जिसमें वह मूर्ति स्थापित है। वर्तमान प्रकरण में वादपत्र में वादी सं०–1 के द्वारा केवल वादमित्र का उल्लेख किया गया है। उस मन्दिर में उसका पद क्या है इसका उल्लेख नहीं है। निगरानी में इस बात का उल्लेख किया गया है कि वादीगण संस्था के मेम्बर, अध्यक्ष या कौन सा पद धारण किये हैं, इसका मूल वाद में उल्लेख नहीं है। इस सम्बन्ध में निगरानी में भी विपक्षी द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

13. उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय ने एक साथ दो प्रार्थना पत्र जिनकी प्रकृति और अनुतोष अलग–अलग थे उनको निस्तारित करते समय सही रूप से विश्लेषण नहीं किया है जिस कारण आदेश में विधिक त्रुटि उत्पन्न हुई है। तदनुसार निगरानी में बल है तथा स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

14. प्रस्तुत सिविल निगरानी सं०–27/2023 स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित–27/28.07.2021 बावत प्रार्थना पत्र 24ग2 अपास्त किया जाता है।

15. विद्वान विचारण न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि निगरानी के मूलवाद में प्रार्थना पत्र 24ग2 पर पुनः सुनवाई कर निगरानी में अंकित विश्लेषण के आधार पर विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करें।

16. निर्णय की एक प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली वास्ते आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब प्रेषित की जाये। निगरानी की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–08.04.2026

(मोहम्मद रफी)
अपर जनपद न्यायाधीश कक्ष सं०–1,
सिद्धार्थनगर।
J.O. Code- UP 6336

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक– 08.04.2026

(मोहम्मद रफी)
अपर जनपद न्यायाधीश कक्ष सं०–1,
सिद्धार्थनगर।
J.O. Code- UP 6336